FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

जितेन्द्र कुमार वगै0 **बनाम** नवलकिशोर वगै0

किस्म मुकदमा—धारा 73(2) राज.नगरपालिका अधि. नंबर 04/2018

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>23.06.2023</td><td>अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के यहॉं एक वाद दावा अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। चूंकि निगरानीकार द्वारा जिस पट्टे को माननीय न्यायालय श्रीमान के यहॉं चुनौती दी गई है वह पटटा नगर परिषद दौसा द्वारा 04.01.2013 को जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा के द्वारा उक्त पटटे का दिनांक 16.1.2013 को पंजीयन किया गया है। उक्त पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही हो कर सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण धारा 73(2) नगरपालिका अधिनियम के तहत पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु विचाराधीन है जो इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested</td><td></td></tr>
</table>